न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
30 / 2024	11.06.2024	12/01/2026

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. भेरूलाल आत्मज धन्नालाल जाति खारोल निवासी सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1. संतोष बाई पत्नी सीताराम जाति मीणा निवासी सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राधेश्याम आत्मज धन्नालाल जाति खारोल निवासी सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब दीगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थी की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट
अप्रार्थी क0 1 की ओर से– श्री बलराम शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी क0 2 की ओर से– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट बाबत रास्ता खुलासा कराये जाने हेतु

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं० 1 व अन्य सहखातेदार के खाते में अन्य भूमियों के अलावा खसरा नम्बर 26 की 1–33 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 पेश है।

2– यह कि पूर्व में कुल 6 किता की 7–69 हेक्टर भूमि प्रार्थी व उसके भ्राता राधेश्याम प्रतिपक्षी नं0 2 व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी जिसमें प्रार्थी व उसके भ्राता राधेश्याम प्रतिपक्षी नं0 2 का 1/12, 1/12 हिस्सा था प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं0 2 व अन्य सहखातेदारान की सहमति से खसरा नम्बर 26 की 1–33 हेक्टर भूमि की प्रार्थी व प्रतिपक्षी नं० 2 के हिस्से व कब्जे काश्त चली आ रही थी।

3– यह कि प्रार्थी ख0न0 26 की 1–33 हेक्टर भूमि के दक्षिण की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उत्तर ओर की भूमि पर प्रतिपक्षी नं0 2 काबिज काश्त चला आ रहा था। किन्तु प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर आने जाने हेतु प्रतिपक्षी न० 2 ने ख0न0 26 की पश्चिम मेड के सहारे उत्तर से दक्षिण 10 फीट चोडी व 205 फीट लम्बाई तक रास्ता दे रखा था। जिसकी लिखापढी समझोता दिनांक 14–7–2021 को की गयी। उससे प्रतिपक्षी नं0 2 पाबन्द है।

4— यह कि प्रतिपक्षी नं0 2 ने अपने 1/12 हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिपक्षी नं० 1 को कर दिया ओर राजस्व रिकार्ड में प्रतिपक्षी नं0 2 के स्थान पर प्रतिपक्षी नं० 1 का नाम दर्ज हो गया। व प्रतिपक्षी नं0 2 ने प्रतिपक्षी नं० 1 को उत्तर दिशा की भूमि पर ही दिया गया।

5— यह कि प्रार्थी ख0न0 26 की पश्चिम मेड के सहारे बने 10 फीट चोडे व 205 फीट लम्बे रास्ते से होकर अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 26 की दक्षिणी भूमि पर आता जाता रहा है तथा मेड का रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी करता चला आ रहा है।

6— यह कि प्रार्थी उक्त चालू रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है प्रार्थी इसी रास्ते से होकर अपने खेत पर आता जाता है हकाई जुताई के साधन व ट्रेक्टर ट्रोली, थ्रेशर अन्य काश्तकारी सामान लाता ले जाता रहा है और अपने खेत पर फसल आदि काश्त कर अपने व परिवार की जीवनयापन करता है उक्त रास्ता ही प्रार्थी को अपने खेत पर पहुंचने का प्रचलित व चालू रास्ता रहा है जो अप्रार्थीगण की जानकारी व ज्ञान में भी है।

7— यह कि पूर्व में रास्ते को लेकर पूर्व खातेदार से किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा नहीं हुआ परन्तु वर्तमान में अप्रार्थी न० 1 विवाद पैदा कर रही हे और आये दिन रास्ता अवरूद्ध कर देती है। इस कारण प्रार्थी ने प्रतिपक्षीगण को प्रार्थी के खेत पर आने जाने के रास्ते को अवरूद्ध नहीं करने व उक्त रास्ते का अकन राजस्व रिकार्ड में करवाये जाने हेतु निवेदन किया तो दिनांक 22—5—2024 को प्रतिपक्षीगण ने उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाये जाने से इन्कार कर दिया।

8— यह कि उक्त खसरा नम्बर 26 की पश्चिमी मेड पर 10 फीट चोडे व 205 फीट लम्बा रास्ता कायम किये जाने व इस सबंध में राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार साहब दीगोद को आदेश व निर्देश दिया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को ख0न0 26 की 1—33 हेक्टर में से आधी भूमि दक्षिणी ओर पर पहुंचने के लिये उक्त खसरा नम्बर 26 की पश्चिमी मेड पर 10 फीट की चोडाई में प्रचलित रास्ते को रास्ते के रूप में कायम किये जाने व उसका अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में करने हेतु प्रतिपक्षी नं० 3 आदेश प्रदान किया जावे ।

प्रार्थी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1— नकल जमाबंदी ग्राम कचनावदा संवत 2073—76 खाता स0 नया 149
2— नकल समझौता प्रार्थी व अप्रार्थी न0 2
3— नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कचनावदा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षीगण 2 की ओर से इकबालिया जवाब व तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया अप्रार्थी क0 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विशेष कथन किया कि:—

1. यह कि खसरा नम्बर 26 की भूमि प्रार्थी, प्रतिपक्षी नं० 1 व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है । उक्त खसरा नम्बर में सभी सहखातेदारान का हक हिस्सा है इस कारण अन्य सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

2. यह कि प्रतिपक्षी नं० 1 का उक्त भूमि व अन्य शामलाती खाते की भूमियों में 1/12 हिस्सा दर्ज है जो उसने प्रतिपक्षी नं0 2 से खरीद किया है। इस कारण प्रार्थी प्रतिपक्षी नं0 1 से उसके हिस्से में से कोई भूमि रास्ते हेतु प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

3. यह कि प्रतिपक्षी नं० 1 प्रतिपक्षी नं0 2 व प्रार्थी के मध्य हुये समझोता से किसी भी प्रकार से पाबन्द नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

4. यह कि खसरा नम्बर 26 की भूमि शामलाती खाते में दर्ज है सभी का हिस्सा बनता है बिना विभाजन कराये प्रार्थी किसी भी प्रकार से रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नहीं है।

5. यह कि प्रार्थी ने प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 को तंग व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेशकिया है। जो खारिज होन योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण मे उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार जवाब व अन्य दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रथम दृष्ट्या यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही है। पूर्व में दोनो भाईयों प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 के मध्य समझौता अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि में से रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा था किन्तु अप्रार्थी क्र0 2 द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी क0 1 को बेच दिये जाने से उक्त समझौते का कोई औचित्य नजर नहीं आता है व प्रकरण में सभी सह खातेदार के मध्य कोई आधिकारिक बंटवारा भी नहीं हुआ है अतः एसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12/01/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद